भीम ❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖ घर-घर औषधि योजना
पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर–302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2021–22 / 4923 दिनांक 21/3/22

निमित्त,

अधिशाषी अभियंता,
सा0 नि0 विभाग,
जिला खण्ड–बस्सी (जयपुर)।

विषयः– प्रस्ताव ''Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas, Toda Meena, Tala, Jaichandpura , Gathwari, Bobari , Under PMGSY-III, District -Jaipur (Rajasthan)& FP/RJ/ROAD/149378/2021 के कम में।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय के पत्र कमांक स्पे. कैम्प जयपुर 02 दिनांक 22.02.2022 (शाखा मे प्राप्त दिनांक 25.02.2022) के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के संलग्न कर जमा कराये गये प्रस्ताव के कम में लेख है कि :–

1. उक्त प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल के पत्र कमांक 170 दिनांक 10.03.2022 के अनुसार यूजर ऐजेन्सी के प्रतिनिधि कर्मचारियों के साथ दिनांक 10.03.2022 को निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मौका स्थल एवं पत्रावली मे लगे नक्शों पर अंकित लम्बाई करीबन सही पाई गयी। इस प्रकार दिनांक 20.03.2022 को यूजर एजेन्सी के प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता सा. नि. विभाग उपखण्ड जमवारागढ, खण्ड बस्सी जिला जयपुर के साथ अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा मय स्टॉफ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मौका स्थल एवं पत्रावली में लगे नक्शों पर अंकित लम्बाई करीबन सही पाई गयी। **अतः उक्त के कम में आप या आपका प्रतिनिधी क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल से सामान्जस्य स्थापित कर प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दी जाने वाली विचाराधीन समतुल्य गैर वन भूमि ''जो वन भूमि से लगती हुई, अतिकमण मुक्त व क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त व एक ही स्थान पर (Compact block) में हो'' का संयुक्त निरीक्षण कर उपयुक्त होने का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न करें। जिसके उपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण किया जा सके। तत्पश्चात् वन भूमि से लगती हुई एवं उपयुक्त होने पर उक्त भूमि को वन विभाग के नाम करवाने की कार्यवाही करवाकर उसका राजस्व नक्शा, जमाबंदी, जी0 टी0 शीट पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसकी के0एम0एल0 फाईल व जी0पी0एस0 कॉडिनेट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि उसकी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव व LAND SUITABILITY CERTIFICATE बनाये जा सके।**
2. साथ ही यूजर एजेन्सी के प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता सा. नि. विभाग उपखण्ड जमवारागढ, खण्ड बस्सी जिला जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्तावित रोड को बनाते समय किसी भी पेड पौधे को नुकसान / काटा नही जायेगा। जिसकी Undertaking बनाकर भिजवा दी जावेगी।(5 प्रतियों में)

उक्त बिन्दुओं पर सूचना आप युजर ऐजेन्सी से ली जानी प्रस्तावित है अतः उक्त बिन्दुओं की पूर्ति करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(सुदीप कौर)
उप वन सरंक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2020–21 / दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अधीक्षण अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 ग्रामीण वृत–जयपुर जेकब रोड, सिविल लाईन।

2. सहायक वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)।

3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल को देकर लेख है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा सामांजस्य स्थापित करने पर प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दी जाने वाली विचाराधीन समतुल्य गैर वन भूमि जो वन भूमि से लगती हुई का निरीक्षण संयुक्त रूप से कर उक्त भूमि अतिकमंण मुक्त व क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें। जिससे अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण किया जा सके। साथ ही अति0 प्रधान मुख्यवन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. जयपुर, राजस्थान के पत्र कमांक एफ 16 2005/एफसीए/प्रमुवसं/पार्ट बी/1899–2025 दिनांक 26 जुलाई 2021 (संलग्न) के अनुसार प्रमाण पत्र भिजवाये।

उप वन सरंक्षक
जयपुर (उत्तर)